ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा

अभिषद् की बैठक दिनांक 11.04.2017 का कार्यवृत्त

समयः 02:00 बजे

स्थानः कुलपति महोदय का आवासीय सभागार

उपस्थिति

1.	प्रो0 सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डा0 अजय नाथ झा	–	सदस्य
3.	डा0 अजीत कुमार चौधरी	–	सदस्य
4.	डा0 अमर कुमार	–	सदस्य
5.	डा0 एन0के0 अग्रवाल	–	सदस्य
6.	डा0 अवधेश कुमार सिंह	–	सदस्य
7.	डा0 डी0 एन0 पासवान	–	सदस्य
8.	डा0 उपेन्द्र कुमार	–	सदस्य
9.	डा0 अरूणिमा सिन्हा	–	सदस्य
10.	डा0 बिरेन्द्र कुमार चौधरी	–	सदस्य
11.	श्रीमती इस्मत जहाँ	–	सदस्य
12.	डा0 बैद्यनाथ चौधरी	–	सदस्य
13.	डा0 विनोद कुमार चौधरी	–	सदस्य
14.	डा0 फैयाज अहमद	–	सदस्य
15.	श्रीमती नीलिमा ठाकुर	–	सदस्य
16.	श्री चन्दन यादव	–	सदस्य
17.	श्री लक्ष्मेश्वर राय	–	सदस्य
18.	डा0 महेन्द्र प्रसाद सिंह	–	सदस्य
19.	श्री आर0बी0 साह, वित्त पदाधिकारी	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	डा0 अजीत कुमार सिंह, कुलसचिव	–	सचिव

कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया । तत्पश्चात, कोरम पूरा होने की सूचना प्रदान करते हुए बैठक की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने की अनुमति माननीय कुलपति सह अध्यक्ष महोदय से माँगी गयी। अभिषद् की बैठक के प्रारंभ में अभिषद् सदस्य डा0 विनोद कुमार चौधरी ने माननीय कुलपति महोदय को उनके इस पहली बैठक में स्वागत किये जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखते हुए इनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय के चतुर्दिक विकास की संभावना व्यक्त किया। इनके प्रस्ताव को सदस्यो द्वारा समर्थन किया गया तथा माननीय कुलपति सह अध्यक्ष महोदय का सम्मान पाग, चादर, पुष्प गुच्छ आदि से किया गया। माननीय कुलपति महोदय ने स्वागत हेतु सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा सदस्यों से आग्रह किया कि सदन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय की दशा एवं दिशा तय किये जाने में अभिषद् का निर्णय महत्वपूर्ण होता है, अतः निर्णय लिये जाने में निष्पक्षता,पारदर्शिता निभाए जाने में सभी से सहयोग की अपेक्षा है। साथ

[signature] 11/5/17

ही विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह में अंकित वाक्य की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि आत्मा के दृष्टि से राग,द्वेष से उपर उठकर विश्वविद्यालय के विकास को देखना चाहिए। डा0 लक्ष्मेश्वर राय एवं डा0 बैद्यनाथ चौधरी ने कुलपति महोदय को मनीषियों की धरती पर संम्पूर्ण मिथिलांचल वासियों की ओर से स्वागत किये जाने की बात कही। तदुपरान्त अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

मद सं0 1. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 01.02.2017 के कार्यवृत की संपुष्टि पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, अभिषद् की गत बैठक दिनांक 01.02.2017 के कार्यवृत को संपुष्ट किया गया।**

मद सं0 2. अभिषद् की बैठक दिनांक 01.02.2017 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन–प्रतिवेन पर विचार।

निर्णयः **अभिषद् की बैठक दिनांक 01.02.2017 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन–प्रतिवेदन पर सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। (परिशिष्ट–क) (पृष्ठ संख्या– 8 – 13)**

मद सं0 3. राज्य सरकार के पत्रांक 14/मु013–116/14–135 दिनांक 11.02.2017 द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में 185 कर्मियों के मामले पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के संदर्भित पत्र के विषयान्तर्गत अंकित मामलो में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्रवाई की तथ्यात्मक विवरणीयों तथा विधिक पहलुओं को अंकित करते हुए पत्र लिखकर सरकार से दिशानिर्देश प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही अग्रत्तर कार्रवाई की जाय। (परिशिष्ट–ख) (पृष्ठ संख्या– 14 – 16)**

मद सं0 4. शंकर महतो C.W.J.C. No. 20731/2011 के मामले में दिनांक 02.12.2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय निर्णय के आलोक में वादियों को प्रधानाचार्य द्वारा दैनिक पारिश्रमिक पर प्रथम नियुक्ति की तिथि के प्रभाव से सेवा विनियमित करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, निर्णय लिया गया कि C.W.J.C. No. 20731/2011 के मामले में दिनांक 02.12.2014 के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय निर्णय के आलोक में प्रथम नियुक्ति की तिथि के प्रभाव से मात्र पेंशन गणना का लाभ दिया जाय। इस लाभ के विरूद्ध एरियर संबंधित दावा अनुमान्य नही किये का निर्णय लिया गया।**

मद सं0 5. अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.03.2017 पर विचार।

कुलसचिव द्वारा सदन से उक्त मद में आंशिक संशोधन हेतु आग्रह किया गया एवं सहमति उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस मद को निम्नवत पढ़ा जाय–

"अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.03.2017 एवं 10.04.2017 पर विचार "

निर्णयः **विचारोपरान्त, अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.03.2017 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया। साथ ही दिनांक 10.04.2017 के कार्यवृत्त को निम्न प्रकार अनुमोदित किया गया–**

मद सं0 2 के संदर्भ में बिन्दु 1. को अनुमोदित किया गया तदनुसार संबद्ध महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध चयन समिति की अनुशंसा पर शिक्षकों की नियुक्ति को अनुमोदित किया गया जिसकी सूची जांचोपरान्त अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति के द्वारा बनाई उपसमिति द्वारा महाविद्यालयवार उपलब्ध कराई गई है। मद सं0 2 के संदर्भ में बिन्दु 2. के अधीन विभिन्न सम्बद्ध महाविद्यालयों के सम्बन्धित शासी निकायों द्वारा की गई अनुशंसित पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार के पास पत्र भेजकर दिशा–निर्देश प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया। (परिशिष्ट–ग) (पृष्ठ संख्या–17 – 64)

मद सं0 3 निर्णय लिया गया कि इन शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में संबंधित **M.M.T.M. College, Darbhanga (Five cases), L.C.S. College, Darbhanga (Two Cases), Sant Kabir College, Samastipur (Three Cases) and M.R.S.M. College, Anadpur, Darbhanga (Four Cases),** महाविद्यालय के प्रधनाचार्यों को सूचित किया जाय कि वे इन शिक्षकों के दावे के संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन सभी संदर्भित अनुलग्नकों सहित पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर वि0वि0 में समर्पित करें। प्रतिवेदन एवं कागजात प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

अ0 मद सं0 01 यथा अनुमोदित किया गया।

अ0 मद सं0 02 डॉ0 दीपक मेहता एवं डॉ0 कृष्ण कुमार साहु, बी0 आर0 बी0 महाविद्यालय के पारस्परिक वरीयता के संबंध में कागजात भेजते हुए उच्च न्यायालय के विश्वविद्यालय अधिवक्ता से राय प्राप्त करने संबंधी समिति के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

अ0 मद सं0 03 डॉ0 सुधीर कान्त राय एवं डॉ0 अजय कुमार सिन्हा, समस्तीपुर महाविद्यालय, समस्तीपुर के परस्पर वरीयता निर्धारण के संबंध में परिनियमित समिति द्वारा 1. प्रो0 आर0 बी0 ठाकुर 2. डॉ0 अमर कुमार एवं 3. उप–कुलसचिव–II की समिति गठित कर जाँच करने संबंधी अनुशंसा स्वीकृत किया गया।

मद सं0 6. श्री शचीन्द्र नाथ झा, सेवानिवृत्त सहायक, एम0के0कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा के बिना सूचना की अनुपस्थिति को विनियमित करने हेतु अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, श्री शचीन्द्र नाथ झा, सेवानिवृत्त सहायक, एम0के0कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा के बिना सूचना की अनुपस्थिति को विनियमित करने हेतु अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि एक जॉच समिति गठित किया जाय। जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगेः–**

1. विधि पदाधिकारी –सदस्य
2. उप–कुलसचिव–I –सदस्य
3. उप–कुलसचिव– II –सदस्य
4. वित्त पदाधिकारी –सदस्य
5. पेंशन पदाधिकारी –संयोजक

मद सं0 7. दिनांक 02.03.2017 को हुए एम0बी0ए0 के सलाहकार समिति की बैठक के निर्णय के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त,सर्वसम्मति से दिनांक 02.03.2017 को हुए एम0बी0ए0 के सलाहकार समिति की बैठक में पारित निर्णयों को अनुमोदित किया गया। (परिशिष्ट–घ) (पृष्ठ संख्या– 65 – 68)**

मद सं0 8. दिनांक 10.02.2017 को हुए नामांकन समिति के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, सर्वसम्मति से दिनांक 10.02.2017 को हुए नामांकन समिति की बैठक के कार्यवृत को अनुमोदित किया गया। (परिशिष्ट–ड) (पृष्ठ संख्या– 69)**

मद सं0 9. दिनांक 07.03.2017 को हुए महिला प्रोधौगिकी संस्थान के प्रबंध परिषद् के निर्णय के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, सर्वसम्मति से दिनांक 07.03.2017 को हुए महिला प्रोधौगिकी संस्थान के प्रबंध परिषद् की की बैठक में पारित निर्णयों के अनुमोदित किया गया। (परिशिष्ट–च) (पृष्ठ संख्या– 70 – 77)**

मद सं0 10. श्री अशोक कुमार सिन्हा, C/o – श्री धनेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेन्ट्रल बैंक के निकट जमीन आवांटन हेतु दिये गये आवेदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, सर्वसम्मति से श्री अशोक कुमार सिन्हा, C/o – श्री धनेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेन्ट्रल बैंक के निकट जमीन के आवांटन हेतु प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया।

मद सं0 11. दिनांक 30.03.2017 को आहुत Pay Fixation समिति के निर्णय के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, सर्वसम्मति से वेतन निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.03.2017 की कार्यवृति को अनुमोदित किया गया। (परिशिष्ट–छ) (पृष्ठ संख्या– 78 – 79)

मद सं0 12. डॉ0 जाकिर हुसैन टी0टी0 कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा में सीट वृद्धि से संबंधित NCTE के पत्रांक F.ERC/NCTE/APE00241/M.Ed. (Revised Order)/2015/32472 दिनांक 30.05.2015 के आदेश की कंडिका – 5 को संज्ञान में लेते हुए नोट करने पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, डॉ0 जाकिर हुसैन टी0टी0 कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा में सीट वृद्धि से संबंधित **NCTE** के पत्रांक **F.ERC/NCTE/APE00241/M.Ed. (Revised Order)/2015/32472** दिनांक 30.05.2015 के आदेश की कंडिका – 5 को संज्ञान में लिया गया साथ ही निर्णय लिया गया कि छात्रहित एवं NCTE के आदेश को ध्यान रखते हुए सत्र 2016–2018 एक युनिट (50 छात्रों) M.Ed. की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा लिया जाय साथ ही परीक्षा परिणाम का प्रकाशन संस्थान के मानक सत्यापन से संबंधित गठित जॉच समिति के प्रतिवेदन के अनुशंसा के आलोक में किया जायेगा । अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया गया कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की जाँच समिति में अभिषद् सदस्यों को भी रखा जाय। जॉच समिति द्वारा किये जानेवाली जॉच प्रक्रिया की विडियोग्राफी कराये जाने की भी सहमति बनी। (परिशिष्ट–ज) (पृष्ठ संख्या– 80 – 81)

मद सं0 13. <u>अतिरिक्त मद, यदि कोई हो।</u>

अतिरिक्त मदः 01. अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 07.04.2017 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 07.04.2017 के कार्यवृत को अनुमोदित किया गया। साथ ही निलम्बन मुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पदस्थापन के संबंध में विभागीय कार्यवाही जॉच समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। (परिशिष्ट–झ) (पृष्ठ संख्या– 82 – 85)

अतिरिक्त मदः 02. वित्त समिति की बैठक दिनांक 08.04.2017 के कार्यकृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, सर्वसम्मति से वित्त समिति की बैठक दिनांक 08.04.2017 के कार्यकृत को अनुमोदित किया गया। (परिशिष्ट–ञ) (पृष्ठ संख्या– 86 – 87)

अतिरिक्त मदः 03. परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 10.02.2017 एंव 06.03.2017 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त,सर्वसम्मति से परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 10.02.2017 एंव 06.03.2017 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया। (परिशिष्ट–ट) (पृष्ठ संख्या– 88 – 97)

अतिरिक्त मदः 04. श्री उमा शंकर पाण्डे, सेवानिवृत्त सहायक, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर की नियुक्ति 18 वर्ष से कम उम्र में होने की औचित्य पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, सर्वसम्मति से श्री उमा शंकर पाण्डे, सेवानिवृत्त सहायक, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर की 44 वर्ष की सेवा उनकी योगदान की तिथि से 44वर्ष पूरी होने तक माना गया।

अतिरिक्त मदः 05. श्री नरेश प्रसाद, सेवानिवृत प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर के 40 (चालीस) दिनों के चिकित्सा अवकाश नहीं रहने की स्थिति में इसके स्थान पर अर्जित अवकाश पूरे औसत वेतन पर वर्षो पहले स्वीकृत एवं भुगतीत अर्जित अवकाश को निरस्त कर

इसके बदले अर्द्धवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर अर्जित अवकाश बचाने के संबंध में प्रधानाचार्य द्वारा भेजी गई सूचना पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, श्री नरेश प्रसाद, सेवानिवृत प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर के संबंध में पूर्व से लिए गये निर्णय को ही अभिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।**

अतिरिक्त मदः 06. प्रधानाचार्य, आर0के0 कॉलेज, मधुबनी के पत्रांक पी0सी0 619/16 दिनांक 28.05.2016 द्वारा डॉ0 शशिभूषण कुमार, विभागाध्यक्ष, आर0के0 कॉलेज, मधुबनी की सेवा समाप्त किये जाने के ओदश के विरूद्ध डॉ0 शशिभूषण कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विश्वविद्यालय पत्रांक SC/670-74/17 दिनांक 17.03.2017 द्वारा गठित जॉच समिति के दिनांक 21.03.2017 के प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, प्रधानाचार्य, आर0के0 कॉलेज, मधुबनी के पत्रांक पी0सी0 619/16 दिनांक 28.05.2016 द्वारा डॉ0 शशिभूषण कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विश्वविद्यालय पत्रांक SC/670-74/17 दिनांक 17.03.2017 द्वारा गठित जॉच समिति के दिनांक 21.03.2017 के प्रतिवेदन को पहले अनुशसन समिति में रखते हुए अभिषद् में विचारार्थ उपस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया।**

अतिरिक्त मदः 07. To consider the applications of the teachers for transfer and posting.

निर्णयः **विचारोपरान्त,स्थानान्तरण एवं पदस्थापन से संबधित प्राप्त सभी आवेदनों तथा अन्य प्राप्त होनेवाले आवेदनों को स्थानान्तरण समिति के माध्यम से विचारार्थ अभिषद् के आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।**

अतिरिक्त मदः 08. मो0 असरफ सदरी की जगह मो0 असरार सादरी, सहायक प्रध्यापक, उर्दु विभाग, वीमेन्स कॉलेज, समस्तीपुर संशोधित करने के संबंध में विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, मो0 असरफ सदरी की जगह मो0 असरार सादरी, सहायक प्रध्यापक, उर्दु विभाग, वीमेन्स कॉलेज, समस्तीपुर संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया।**

अतिरिक्त मदः 09. डॉ0 अजीत कुमार चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आलोक में डॉ0 मदन मोहन मिश्र, पूर्व विभागाध्यक्ष, ए0आँई0एच0 को निलम्बन मुक्त किये जाने के संबंध में डॉ0 मिश्र के विरूद्ध गठित दो जॉच समितियों द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, अभिषद् की बैठक दिनांक 14.01.2017 के अन्यान्य मद संख्या–24 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के आलोक में डॉ0 मदन मोहन मिश्र, पूर्व विभागाध्यक्ष, ए0आई0एच0 के निलंबन से संबंधित मामले को अनुशासन समिति के माध्यम से उपस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया।**

अतिरिक्त मदः 10. To consider the steps to be taken on 5 points mentioned in the Governor's Secretariat Letter no. LNMU 24/2014-729/GS(I) dt. 01.03.17 and in pursuance of the report of the Enquiry Committee constituted vide Univ. Letter no. SC/563-70/17 dt. 25.02.2017 in the matter of reply to the show cause submitted by Dr. Ramesh Yadav, Principal under the services of the University.

निर्णयः **विचारोपरान्त, Dr. Ramesh Yadav से संबंधित मामले को अनुशासन समिति में विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।**

अतिरिक्त मदः 11. विद्यापति चेयर की स्थापना हेतु संदीप फॉउण्डेशन के संस्थापक श्री संदीप कुमार झा द्वारा 7,00,000 (सात लाख) रूपया प्राप्ति के बाद स्थापना के संबंध में विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से विद्यापति चेयर की स्थापना स्नातकोत्तर मैथिली विभाग में किये जाने का निर्णय लिया गया।**

11/4/17

अतिरिक्त मदः 12. अभिषद् की बैठक दिनांक 23.01.2017 के अन्यान्य मद सं 2 पर लिये गये निर्णय के आलोक में **"University Postgraduate Management Department"** का नामांकरण **"University Post Graduate Dr. Ram Manohar Lohiya Management Department"** की नामांकरण का बदलाव करने पर पुनः विचार।

निर्णयः **इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करते हुए "University Postgraduate Management Department" का नामांकरण "University Post Graduate Dr. Ram Manohar Lohiya Management Department" के बदले ए0 आई0 सी0 टी0 ई0 से मान्य एवं अनुमोदित नाम " Department of Commerce and Business Administration" रखने का निर्णय लिया गया।**

अतिरिक्त मदः 13. ए0एन0डी0 कॉलेज, शाहपुर–पटोरी में सेल्फ फाईन्स स्कीम के तहत बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु NCTE में चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों की सूची भेजा जा चुका है, जिसे घटनोत्तर स्वीकृत पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, ए0एन0डी0 कॉलेज, शाहपुर–पटोरी में सेल्फ फाईन्स स्कीम के तहत बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु NCTE में चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों को अनुमोदित करते हुए भेजी गयी सूची की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। (परिशिष्ट–ठ) (पृष्ठ संख्या– 98–103)**

अतिरिक्त मदः 14. देवनारायण यादव महाविद्यालय, मधुबनी में सिविल रिट के0 न0: 20018/13 एवं विश्वविद्यालय के पत्रांक 349/15 दिनांक 09.01.2015 का महाविद्यालय द्वारा अनसूनी करने पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, सर्वसम्मति से माननीय उच्च न्ययालय, पटना के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नही करने एवं विश्वविद्यालय आदेश की अवहेलना किये जाने के कारण वर्तमान शासीनिकाय भंग किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही महाविद्यालय में नये तदर्थ समिति गठन किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। माननीय उच्च न्ययालय, पटना के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का निर्देश पत्र गठित नये तदर्थ समिति को दिये जाने का भी निर्णय लिया गया।**

अन्यान्य मदः 1. **सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय अधीन परीक्षा विभाग के कार्यप्रणाली में सहयोग एवं सुझाव हेतु एक त्रि–सदस्यी समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया जिसमें निम्न सदस्य होंगे–**

1. **प्रो0 आर0 के0 झा– स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग –सदस्य**
2. **प्रो0 एच0 के0 सिंह– स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग –सदस्य**
3. **डा0 प्रेम मोहन मिश्र– एम0 एल0 एस0 एम0 महाविद्यालय, दरभंगा। –संयोजक**

साथ ही परीक्षा विभाग के कार्यों में सुधार तथा कार्यों के शीघ्र निष्पादन हेतु आवश्यक निर्णय लेने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अन्यान्य मदः 2. **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों में माननीय कुलपति महोदय को सलाह देने हेतु एक सलाहकार समिति गठित की जाय इस हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

अन्यान्य मदः 3. **सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अधीन एक केन्द्रीकृत प्लेसमेंट सेल गठन किये जाने तथा विश्वविद्यालय वेवसाइट के इंटरैक्टिव डेमलॅपमेंट किये जाने का निर्णय लिया गया । साथ ही पूर्व से संचालित एल्यूमनी एसोसिएसन को पुनःसंगठित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।**

अन्यान्य मदः 4. डा० महेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एस० एम० जे० महाविद्यालय, खाजेडीह, मधुबनी के डोनर निर्धारण के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अन्यान्य मदः 5. श्री चन्दन कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्ववितपोषित संस्थाओं के सलाहकार समिति/प्रबंध समिति में अभिषद् सदस्यों को नामित किया जाय। इस पर विचार करते हुए निर्धारित नियमों के अधीन प्रावधान होने पर नामित किये जाने का आश्वासन माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया।

अन्यान्य मदः 6. डा० विनोद कुमार चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि विश्वविद्यालय अधीन गठित सभी परिनियमित समितियों के पुनर्गठन किये जाने एवं महाविद्यालयों में नियुक्त विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों को पुनर्नियुक्त किया जाय। इस पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय अधीन गठित सभी परिनियमित समिति के सदस्यों की सुची आगामी बैठक में उपस्थापित कर निर्णय लिये जाने का आश्वासन माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया।

बैठक के अंत में कुलसचिव द्वारा बैठक के संचालन में सहयोग एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष–सह–कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गयी।

ह0/–
(अजीत कुमार सिंह)
कुलसचिव–सह–सचिव

ह0/–
(सुरेन्द्र कुमार सिंह)
कुलपति–सह–अध्यक्ष

ज्ञापांक : UB-925-80/17

दिनांक : 11/04/2017

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
3. निदेशक,उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
4. उप–सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
5. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
6. सभी पदाधिकारी/कुलपति के सचिव/प्रति–कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

11.4.17
कुलसचिव

11/4/2017